भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3384
(दिनांक 12.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

यू-ट्यूब समाचार चैनल

3384. श्री नाबा कुमार सरनीयाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आज की तारीख में पंजीकृत यू-ट्यूब समाचार चैनलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त यू-ट्यूब चैनलों के पत्रकारों को मान्यता दी गई है और यदि हां, तो उनके नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में अभी तक प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त पत्रकारों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त पत्रकारों को प्रदत्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) एवं (ख): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समय यू ट्यूब समाचार चैनलों को सरकार के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होता है। तथापि, यू ट्यूब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित एक मध्यस्थ है तथा इस अधिनियम की धारा 79 के अनुसार मध्यस्थों द्वारा कतिपय सम्यक सावधानी का अनुसरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थों से यह अपेक्षित है कि वे कंप्यूटर संसाधन के प्रयोक्ताओं को ऐसी किसी भी सूचना को पोषित, प्रसारित, अपलोड, आशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अद्यतित अथवा साझा न करें जोकि अत्यधिक नुकसानदायक, मानहानिप्रद, अश्लील, कामोत्तेजक, बाल यौन शोषण से संबंधित हो और जिससे किसी भी प्रकार से

अवस्यकों को हानि पहुंचाती हो तथा तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून आदि का उल्लंघन होता हो।

(ग): इस मंत्रालय का पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार के मुख्यालयों में रहने वाले समाचार मीडिया के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करता है। पत्र सूचना कार्यालय यू ट्यूब समाचार चैनलों के पत्रकारों को प्रत्यायन प्रदान नहीं करता है।

(घ): पत्र सूचना कार्यालय ने वर्ष 2019 में अब तक 2452 मीडिया कार्मिकों को प्रत्यायन प्रदान किया है।

(ङ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण स्कीम (जेडब्ल्यूएस) की शुरूआत की है जिसमें पत्रकारों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तत्काल आधार पर एकबारगी अनुग्रही राहत राशि मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। पत्रकार की मृत्यु होने पर परिवार के निर्भर सदस्य को भी यह सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, रेल रियायत तथा सीजीएचएस सुविधाओं के लाभ पत्र सूचना कार्यालय के प्रत्यायित पत्रकारों को क्रमश: रेल मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

*****